Refueling facilities at Kulu and Simla

780. SHRTANAND SHARMA:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal under their consi deration to provide refueling facilities at Kulu and Simla ; and

(b) if so, by when it is likely to be provided ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M.S. GURUPADASWAMY) : (a) and (b) Indian Oil Corporation plans to put up refueling facilities at Kulu as per the requirement projected by M.S. Vayudoot and these are expected to be completed by December, 1990. No requirement at Simla has been projected by M/s. Vayudoot.

Research Work on the Ill-Effects of Smoking

781. SHRI SYED SIBTEY RAZI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to some researches done in U.S.A. which has proved that smokers have been loosing their smelling power ; and

(b) if so, what are the details thereof and what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

SHRI NILAMANI ROUT mation,is being collected belaid on the Table of the Sabha.

782. *[Transferred to the 23rd March, 1990*

आदिवासी क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम

783. **श्री अजीत जोगी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम की वजह से आदिवासी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर सामान्य क्षेत्रों में व्याप्त जनसंख्या वृद्धि दर से कम है ; और

(ख) यदि हां, तो सभी क्षेत्रों में एक समान जनसंख्या वृद्धि दर बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री **(श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) और (ख) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की समग्र वृद्धि दर देश में कुल जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक थी। बहरहाल, 1981 जनगणना में अनुसूचित जनजातियों की गणना में अनुसूचित जनजातियों की सूची 1976 के अधिनियम के अनुसार मानी गई।

परिवार कल्याण कार्यक्रम को पात्र दम्पतियों में पूरी तरह स्वैच्छिक आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है । राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से आदिवासी क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम को यंत्रवत् लागू न करने का अनुरोध किया गया है । यह कार्यक्रम कम आदिवादी वाले तथा बहुत ही पिछड़ आदिवासी लोगों में बहुत सोच-समझकर लागू किया जाना चाहिए ताकि यहां के लोगों का सन्तुलित विकास, कल्याण और स्वास्थ्य परिचर्या सुनिश्चित हो सके । यही नहीं, विलुप्त हो रहे आदिवासी लोगों के बीच कोई गहन परिवार नियोजन अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए ।